

मुरगाव पत्तन न्यास

वित्त विभाग

संदर्भ स. एफडी/सीए/पी.3/2020/ ८८८/

दिनांक : १५/१०/२०२०

परिपत्र


**विषय: अक्टूबर, 2020 से दिसंबर, 2020 तक की अवधि
के लिए डी.ए. की तिमाही संशोधित प्रतिशत**

मंत्रालय के पंत्र सं.29018/2/2016-पीई-1 दि. 05/02/2020, दि.30/08/2018 के समझौता जापन के अनसरण में एआईसीपीआई तिमाही इन्डेक्स औसत 277, जिससे संशोधित वेतनमान संबंधित है, के आधर पर अक्टूबर, 2020 से दिसंबर, 2020 तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर, निम्नवत है:-

In pursuance of Ministry's letters no. A-29018/2/2016-PE-I dated 05th February, 2020 and Memorandum of Settlement 30/08/2018, the rate of Dearness Allowance payable to the Class I, II, III & IV employees from October, 2020 to December, 2020 based on the increase/decrease in AICPI quarterly index average of 277 to which the revised scales of pay are related, is given here below:

श्रेणी Class	अवधि Period		त्रैमासिक औसत प्वाइंट्स Three monthly average points	डी.ए. के लिए गणना किए जानेवाले प्वाइंट्सों की कुलसंख्या Total No. of points to be counted for D.A.	100% न्यूट्रीलाइजेशन डी.ए. की % % of D.A. on 100% neutralization
	From	To			
प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारी Class I & II Officers	01/10/2020	31/12/2020	335	58	20.94 %
तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारि Class III & IV employees	01/10/2020	31/12/2020	335	58	20.94 %

2. डी.ए. की उपरोक्त दरें पेन्शनरों/परिवार पेन्शनरों को एआईसीपीआई 277 पर लागू होंगी।
The above rates of D.A. are also applicable to pensioners/family pensioners on AICPI 277
3. यह अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Chairman.



वित्तिय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष/ एमपीटी

प्रतिलिपि:-

- 1) अध्यक्ष के पटल हेतु
- 2) उपाध्यक्ष के पटल हेतु
- 3) आरएपी/एमपीटी
- 4) सहायक निदेशक (ईडीपी)/एमपीटी
- 5) सूचना पट्ट

✓ 6) सहायक प्रबंधक (ईडीपी) ... for website